UPSH060008632022

न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०) कोर्ट संख्या 26, शाहजहाँपुर।

मूल वाद संख्या 597/2022

मो० जीशान व अन्य बनाम नगर निगम शाहजहाँपुर।

दिनांक 26.11.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी जरिये विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पुनः लंचोपरान्त पेश हो।

लंचोपरान्त

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी जरिये विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मूलवाद वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। आदेश पत्रक के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा दावे व अन्य दस्तावेज की छायाप्रति प्रतिवादी को नहीं प्रदान की गयी है। वादी को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जा चुके। वादी न तो स्वयं उपस्थित है और न ही उसके द्वारा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अतः वादी द्वारा वाद पर बल देने हेतु उपस्थित न होने की स्थिति में प्रस्तुत मूलवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत मूलवाद वादी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

आयुषी
अपर सिविल जज (जू०डि)
कोर्ट संख्या-26, शाहजहाँपुर।
J.O Code UP 4665